(162)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4183—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—08—2014 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 103/2012—13/अपील

.....

1— जगदीश प्रसाद जायसवाल पुत्र शिवसहाय जायसवाल
2— भोला प्रसाद जायसवाल पुत्र जगदीश प्रसाद जायसवाल
निवासीगण— ग्राम कचनी, तहसील बेढ़न, जिला—सिंगरौली

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— वशिष्ठ प्रसाद पुत्र वंशपतिराम पाण्डेय
2— इन्द्रकमल पुत्र पंशपतिराम पाण्डेय
निवासीगण—नवानगर, तहसील सिंगलौरी (म0प्र0)
3— परिक्षित सिहं पुत्र एच0वी0 सिंह
निवासी—बीना कॉलोनी, जिला—सोनभद्र(उ0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 16/8/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—08—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने संहिता की धारा 250 के तहंत ग्राम कचनी में स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 2505/3 रकबा 0.41 है0 पर से आवेदकगण को बेदखल किये जाने के संबंध में तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जहॉ तहसीलदार सिंगरौली ने मध्यप्रदेश

भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत कार्यवाही करते हुये अनावेदकगण के पक्ष में दिनांक 06.07.2013 को बेदखली का आदेश पारित किया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के समक्ष अपील मय संहिता की धारा 52 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 29.08.2014 से आवेदकगण का धारा 52 का आवेदन पत्र अस्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि राजस्व मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.08.2013 पारित कर अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था कि वह उपरोक्त प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के पश्चात तथ्यात्मक आदेश पारित करें। उक्त आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं स्थगन आवेदन मात्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रथम दृष्टया सुविधा एवं संतुलन आवेदकगण के पक्ष में नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन केवल आवेदकगण के साथ है। क्योंकि यदि उन्हें विवादित भूमि से बेदखल किया जाता है तब अपूर्णनीय क्षति आवेदकगण को होगी ना की अनावेदकगण को। इस प्रकार उपरोक्त स्थिति का विधिवत मूल्यांकन किये बिना ही अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली द्वारा जो निष्कर्ष निकाला उसमें अवैधानिकता प्रकट होती है। प्रतिपेषण आदेश अनुविभागीय अधिकारी पर बंधनकारी है और उनका पालन किया जाना चाहिये। आवेदकगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष यह आपत्ति विवादित भूमि, कृषि भूमि नहीं है, व्यवर्तित भूमि है। जिसमें बेदखली का अधिकार तहसील न्यायालय को नहीं है। आवेदकगण की उक्त विधिवत आपत्ति पर विचार किये बिना जो आदेश तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अनुचित है। विचारण न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से अनावेदकगण द्वारा विवादित भूमि का सीमांकन दिनांक 18.05.2013 को राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढ़न से कराया गया है। उक्त आराजी पर किसी भी तरह का मकान एवं निर्माण न होने का उल्लेख किया है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा स्थंगन आदेश के पालन में कब्जा आवेदकगण का

पाया गया था। उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है वह अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायलय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण ने न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 3122–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2013 को निगरानी स्वीकार करते हुये, प्रकरण तहसीलदार सिंगरौली को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 पर विचार करते हुये एवं दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विधिवत आदेश पारित करें। तहसीलदार सिंगरौली ने न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश के पालन में प्रकरण में पुनः कार्यवाही प्रारंभ करते हुये, उभयपक्ष के तर्क सुने तथा दिनांक 06.07.2013 को आदेश पारित किया । आवेदकगण का यह तर्क कि तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही करते हुये, आवेदकगण को बेदखली का नोटिस प्रदान किया था, जो उस पर तामील हुआ । किन्तु आवेदकगण द्वारा उक्त प्रश्नाधीन आराजी से कब्जा हटाने से मना किया गया। आवेदकगण द्वारा कब्जा हटाने से मना किये जाने के पश्चात ही तहसीलदार सिंगरौली आवेदकगण के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण दिनांक 29.07.2013 को प्रेषित किया गया । इससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के बेदखली आदेश के उपरांत भी आवेदकगण उक्त आराजी पर यथावत काबिज रहे । तहसीलदार ने आवेदकगण के पक्ष में संहिता की धारा 52 के अंतर्गत सुविधा एवं संतुलन का अभाव होने से ही आवेदन पत्र निरस्त किया है । आवेदकगण द्वारा राजस्व न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। ऐसे में तहसीलदार सिंगरौली ने जो आदेश पारित किया है उसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली ने

भी तहसीलदार द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को उचित माना है एवं विचारोपरांत दिनांक 29.08.2014 को अंतरिम आदेश पारित किया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर